

17.03.2024

पत्रावली पेश / वकील शर्मा उपस्थित / पत्रावली का अवलोकन किया, अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली वर्ष 2015 से तलबी में आविष्ट है। बार-बार अर्थात् दिये जाने के बावजूद शर्मा पक्षकार द्वारा लगाने तकता पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि शर्मा पक्षकार अपने शर्मा-पत्र को लेना सम्भार नहीं है अतः शर्मा-पत्र न्यायालय आदेश की अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली के तलबी नुमां के नम्बर से कम की जाकर डाकिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर एवं कायबालक न
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालौर)

